

2090/PS/UDH
17/07/2020

राजस्थान सरकार
वित्त (जी एण्ड टी) विभाग

विषय:- राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) में Government e-mail service का उपयोग करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 10.12.2019 (प्रति संलग्न) द्वारा निर्देशित किया गया था कि सभी नोडल अधिकारी/उपापन संस्थाओं को राज्य लोक उपापन पोर्टल/e-proc पोर्टल पर सरकारी ई-मेल सिस्टम/सेवाओं का उपयोग अनिवार्य है। उक्त कार्य हेतु दिनांक 01.01.2020, तत्पश्चात् 01.02.2020 व 31.03.2020 तक तिथि बढ़ायी गयी थी। इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 29.04.2020 एवं 18.06.2020 द्वारा उक्त कार्य हेतु तिथि दिनांक 01.07.2020 तक बढ़ा दी गई थी।

उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक ई-मेल यथा yahoo/gmail/hotmail/outlook/rediff आदि के माध्यम से संचार/संवाद व्यवस्था का उपयोग राज्य लोक उपापन पोर्टल/e-proc पोर्टल पर प्रतिबंधित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

इस क्रम में सभी सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/बोर्ड/निगमों में राज्य लोक उपापन पोर्टल में समस्त नोडल अधिकारी/उपापन संस्थाओं को प्रशासनिक विभाग के स्तर से पुनः निर्देशित किया जाना उचित होगा कि सरकारी ई-मेल सिस्टम/सेवाओं यथा username@rajasthan.gov.in/username@ rajasthan.in सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा एवं username@nic.in NIC के ई-मेल का अनिवार्यत उपयोग किया जावे।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर तीन माह की अवधि में आपके अधीन कार्यरत शत प्रतिशत नोडल अधिकारी/उपापन संस्थाओं द्वारा पालना किया जाना सुनिश्चित किया जावे।



(निरजन कुमार आर्य)
अति. मुख्य सचिव
वित्त विभाग

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/शासन सचिव
यू.ओ.नोट क्र.प.(1)वित्त/एस.पी.एफ.सी/2013
जयपुर, दिनांक 10.07.2020

58
16/7

Memo No. 11

Attn: (102)
कॉपी
लेट एड

यथा संभव
कॉपी
के अंतर्गत
के अंतर्गत
के अंतर्गत

17/7/2020

राजस्थान सरकार
वित्त (G&T-SPFC) विभाग

क्र०: एफ 4(1)वित्त/एस.पी.एफ.सी./2013

जयपुर दिनांक 10/12/2019

परिपत्र

विषय:- राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) में Government e-mail service का उपयोग करने के संबंध में।

राज्य लोक उपापन पोर्टल पर वर्तमान में नोडल अधिकारी/उपापन संस्थाओं के द्वारा सरकारी ई-मेल सिस्टम/सेवाएँ एवं सार्वजनिक ई-मेल सिस्टम/सेवाएँ यथा Yahoo/Gmail/Hotmail/Outlook/Rediff आदि का उपयोग किया जा रहा है।

सूचना एवं संचार विभाग, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.02.2015 की अनुपालना में राजकीय संवाद/संव्यवहारों हेतु सभी सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/बोर्ड/निगमों में सरकारी ई-मेल सिस्टम/सेवाओं का प्रयोग अनिवार्य किया गया है। उक्त अधिसूचना की पालना में प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 23.09.2019 द्वारा राजकीय संव्यवहारों/संवाद हेतु सभी सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/बोर्ड/निगमों में सरकारी ई-मेल सिस्टम/सेवाएँ जो कि एनआईसी और राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है का प्रयोग तुरन्त प्रभाव से अनिवार्य कर दिया गया है एवं वर्तमान में राज्य लोक उपापन पोर्टल/ई-प्रोक पोर्टल पर सार्वजनिक ई-मेल सेवा यथा Yahoo/Gmail/ Hotmail/ Outlook/Rediff द्वारा जारी ई-मेल आई.डी. का उपयोग तुरन्त प्रभाव से निषेध कर दिया है।

प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 23.09.2019(प्रति संलग्न) के अनुसरण में सार्वजनिक ई-मेल सेवा प्रदाता यथा Yahoo/Gmail/Hotmail/Outlook/Rediff द्वारा जारी ई-मेल आई.डी. का उपयोग तुरन्त प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। समस्त सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/बोर्ड/निगमों को निर्देशित किया जाता है कि राज्य लोक उपापन पोर्टल/ई-प्रोक पोर्टल में नोडल अधिकारी/उपापन संस्थाओं के द्वारा सरकारी ई-मेल सिस्टम/सेवाएँ जो कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के ईमेल username@rajasthan.gov.in/username@rajasthan.in एवं NIC के ईमेल username@nic.in का अनिवार्यतः उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जावे। जिन सार्वजनिक उपक्रमों/बोर्ड/निगमों के पास स्वयं के डोमेन पर ईमेल बना रखी है उन्हें राजस्थान स्टेट डाटा सेन्टर में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के सर्वर पर होस्ट किया जा सकता है। सार्वजनिक उपक्रमों/बोर्ड/निगमों द्वारा पहले से उपलब्ध डोमेन और ईमेल को काम में लिया जा सकता है। अतः सभी सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/बोर्ड/निगमों में राज्य लोक उपापन पोर्टल/ई-प्रोक पोर्टल में नोडल

अधिकारी/उपापन संस्थाओं के द्वारा सरकारी ई-मेल सिस्टम/सेवाओं का उपयोग अनिवार्यतः करना सुनिश्चित करें अन्यथा सार्वजनिक ई-मेल के माध्यम से संचार/संवाद व्यवस्था का उपयोग राज्य लोक उपापन पोर्टल/ई-प्रोक पोर्टल पर दिनांक 01.01.2020 से प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।

संलग्न:-उक्तानुसार




शासन सचिव
वित्त (बजट) विभाग

क्रमांक: एफ 4(1)वित्त/एस.पी.एफ.सी./2013

जयपुर दिनांक- 10/12/2019

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (बजट/राजस्व) विभाग।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
5. समस्त प्रशासनिक विभाग, राजस्थान सरकार।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार।
7. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान सरकार।
8. प्रोजेक्ट समन्वयक एसपीपीपी, एनआईसी, वित्त भवन, जयपुर
9. समस्त नोडल अधिकारी/उपापन संस्थाएँ।
10. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. वित्तीय सलाहकार, वित्त (SPFC) विभाग को राज्य लोक उपापन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव
वित्त (जीएण्डटी) विभाग

Sr.No: F6(334)/DoIT/Gen/19/04147/2019

Dated: 23-09-19

Circular

Subject: - Use of Govt. Email Systems for Official Communication

Email is one of the best and fastest communication medium for official and direct conversation. The user does not have to pay the price of a stamp and do not have to wait for days to get a response or reply. In today's world, it is an easy and fast way to keep in touch with co-workers. Department of Information Technology & Communication (DoIT&C) has already set-up a state-of-the art Email infrastructure in RSDC and are providing Email services to various departments.

In compliance to Gazette notification dated 19/02/2015 by Ministry of Communications and Information Technology, Government of India(GoI), it is mandated for all state government departments/ PSUs/ Boards/ Corporations etc. to use only Government Email systems/ services for official government communication.

It is observed that most of the departments/ PSUs/ Boards/ Corporations etc. of State Government are still using the prohibited free public email services for official communication

In compliance to the cited Gazette notification dated 19/02/2015 of GoI, it is hereby mandated with immediate effect that all officers and officials of state government departments/ PSUs/ Boards/ Corporations etc. should use Government email systems/ services for official government communication and use of free public mail services like GOOGLE/ YAHOO/ HOTMAIL/ OUTLOOK/ REDIFF etc. is strictly prohibited for official government communication. This would not only ensure the data privacy and security of government data but also improve the overall communication efficiency in inter-department communication.

Allowed Email Addresses/ Services

username@nic.in/ username@gov.in provided by NIC, GoI

or

username@rajasthan.gov.in / username@rajasthan.in etc. provided by DoIT&C, GoR

The concerned departments/ offices should use their official email accounts on a regular basis so as to avoid de-activation. In case, any department/ office/ officer is not having any Email A/c as mentioned above, he/ she may download the "Email A/c Creation Application Form" from <https://mail.rajasthan.gov.in> (official email service of Govt. of Rajasthan) and send the duly filled, signed and stamped application form to DoIT&C at helpdesk.email@rajasthan.gov.in. For clarifications required, if any, helpdesk team is accessible at 0141-2925555 during office hours.

